भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2755

जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में बढ़ते मुकदमें

2755. श्री खगेन मुर्मु :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत में मध्यस्थता के माहौल में सुधार के लिए कई उपायों को लागू करने के बावजूद अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी में सम्मिलित रेल और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय और विभाग न्यायालयी मामलों को कम करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, रेल मंत्रालय ने सभी स्तरों पर न्यायालयी मामलों की प्रभावी मानीटरी के लिए अनुदेश जारी किए हैं । जोनल रेल और उत्पादन इकाईयों को सरकारी मामलों को कम करने के लिए और न्यायालय के भार को कम करने के लिए न्यायालयी मामलों को लड़ने में होने वाले व्यय को कम करने के लिए शीघ्रता सभी न्यायालयों में मामलों को अंतिम रूप देने में शीघ्रता करने के लिए प्रभावी कदम उठाए है । इसके लिए प्रभावी मानीटरी करने के लिए और पैनलीकृत अधिवक्ताओं के साथ होने वाली बातचीत करने के

लिए नियमित बैठकें आयोजित करने पर बल दिया गया है और उत्तरों, प्रत्युत्तरों और आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उच्चतम स्तर पर आवश्यक निदेश दिए गए हैं ।

इसी प्रकार, राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अनेक अनुदेश जारी किए हैं और मुकदमेबाजी कम करने के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं और जिसका परिणाम न्यायालयों पर भार कम होने के रूप में हुआ है सीबीडीटी ने फील्ड अधिकारियों को निदेश देते हुए परिपत्र जारी किए हैं कि विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम कर प्रभाव की आईटीएटी/एचसी/एससी के समक्ष लंबित अपीलों को वापस ले लिया जाए/जारी नहीं रखा जाए और इस प्रक्रिया में उच्च मांग की मुकदमेबाजी पर बेहतर और संगठित ध्यान रखा जाए । सीबीडीटी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलें केवल इस कारण से ही फाइल नहीं की जानी चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले में कर प्रभाव विहित धनीय सीमाओं से अधिक है और अपीलों को फाइल किया जाना कठोर रूप से मामले के गुणागुण पर निर्भर होना चाहिए ।

इसी प्रकार, सीबीआईसी के अधीन क्षेत्रीय प्राधिकारियों को उच्च न्यायालयों/सीईएसटीएटी में लंबित अपीलों को वहां वापस लेने का अनुदेश दिया गया है, जहां उच्चतम न्यायालय ने वैसे ही मामले में विनिश्चय किया है । इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने क्षेत्रीय प्राधिकारियों को उन अपीलों में आगे न लड़ने का भी अनुदेश दिया है जहां अपीलों के दो प्रक्रमों पर उनके तर्क को नहीं माना गया है । यह विनिश्चय किया गया है कि यद्यपि ऐसे मामलों में यह अनुभव किया गया है कि मुद्दा आगे अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है तब समुचित न्यायोचित्य और जोनल मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से तीसरी बार अपील की जा सकती है । क्षेत्रीय प्राधिकारियों को यह भी अनुदेश दिया गया है कि वह केवल उन विशेष अनुमति याचिकाओं को अग्रेषित करें, जहां विषय के विधि का सारवान प्रश्न है या उसमें साक्ष्य को स्वीकार करने में गंभीर प्रतिकूलता या अविधिमान्यता अंतर्वलित है ।

इस दिशा में, सीबीडीटी और सीबीआईसी, दोनों ने अपील फाइल करने की ऊपरी धनीय सीमा को भी बढ़ा दिया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सीबीडीटी

के समक्ष अपील फाईल करने के लिए	धनीय सीमा
आय-कर अपील अधिकरण	50 लाख रुपये
उच्च न्यायालय	1 करोड़ रुपये
उच्चतम न्यायालय	2 करोड़ रुपये

सीबीआईसी

के समक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों में अपील फाईल करने के लिए धनीय सीमा			के समक्ष सीमा शुल्क से संबंधित मामलों में अपील फाईल करने के लिए धनीय सीमा		
सीईएसटीएटी	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय	सीईएसटीएटी	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
50 लाख रुपये	1 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	5 लाख रुपये	10 लाख रुपये	25 लाख रुपये

(ग) और (घ) : केंद्रीय सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम का केंद्र बनाने के अपने प्रयास में और माध्यस्थम् प्रक्रिया को उपयोक्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी, तीव्र बनाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में संशोधन किया था । इस संशोधनों के माध्यम से सरकार ने अभिवचनों, माध्यस्थम् कार्यवाहियों, त्वरित माध्यस्थम् उपबंध के लिए समय-सीमा और छह मास की अवधि के भीतर माध्यस्थम् कार्यवाहियों को पूरा करने पर माध्यस्थों के लिए प्रोत्साहन का उपबंध किया है । अधिनियम में माध्यस्थम् कार्यवाहियों में माध्यस्थम् अधिकरण के कारण विलंब की दशा में माध्यस्थों की फीस में कटौती करने का भी उपबंध है । माध्यस्थम् पंचाटों के स्वत: अधिस्थगन के संबंध में भी उपबंधों को हटा दिया गया है ।

मुकदमेबाजी करने की आवश्यकता से हटने के और अनुकल्पी का उपबंध करने के लिए माध्यस्थम् के वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । इस संबंध में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को, अन्य बातों के साथ, पूर्व सांस्थानिक माध्यस्थम् और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन कोई पक्षकार, जो तीन लाख और उससे अधिक के विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु में किसी शीघ्र अंतरिम अनुतोष का इरादा नहीं रखता है, को सबसे पहले विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने वाले पीआईएमएस उपचार का उपयोग न्यायालय में जाने से पूर्व करना होता है ।

****